

श्री कमलेश्वर प्रसाद शिवा
निदेशक माध्यमिक शिक्षा

पृष्ठ सं.

श्री अरवि कानूकी
अध्यक्ष
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा क्षेत्र 2 समुदायिकी सेक्टर
मई दिल्ली-110002

पृष्ठ सं.

विषय:- सकांतरा अकाड, मंहगपुर, जानीपुर, फुलवारीशरीफ पटना का अनामति प्रमाण पत्र के संबंध में।
महत्वपूर्ण

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि केन्द्रीय अधिरूचना संख्या 233 दिनांक 02.04.2005 के आदेश में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गए जनता की रक्षणा की गयी जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

1. विद्यालय का संचालन नियमित न्यास 'सकांतरा अनाड ट्रस्ट' पटना के द्वारा किया जाता है। न्यास के शासी निकाय के सदस्यों की सूची दी गयी है और यह सूचना भी दी गयी है कि ट्रस्ट में किसी एक ही परिवार के सदस्यों का प्रभुत्व नहीं है। सदस्यों का पता देखने से स्पष्ट है कि ये विभिन्न शहरों में निवास करते हैं। पांच सदस्यों में से 3 का देशा शिक्षण कार्य, एक मेडिकल ऑफिसर तथा एक व्यक्तियाँ हैं। (सूची संलग्न)
2. विद्यालय में किसी नियमित सोसाईटी/न्यास के फंक्शनरी के रूप में अध्यापक किसी विद्यालय के brand name का उपयोग नहीं करने का भी दावा किया है। मानव संसाधन में माध्यमिक उच्च न्यायालय द्वारा CWCJ संख्या 3307/2005 असांक कुमार बनाम सूचियन आर इन्डिया एच अन्य में दिनांक 09.03.05 को पारित न्यायदेश (न्यायदेश को संश्लेषित संलग्न) के आलोक में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा कि न्यास में अनजानता दिव्यामित नहीं हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा स्कूल को नोन बदलने की सलाह दी जानी चाहिए।
3. विद्यालय के द्वारा 2 एकड़ भूमि महगपुर, जानीपुर फुलवारीशरीफ में 30 वर्षों के लीज पर ले गई है। अतएव विद्यालय के द्वारा भवन निर्मित करा लिया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधा की जाँच बोर्ड को अपने निरीक्षण दल से करा लेनी होगी।
4. विद्यालय में 16 शिक्षक हैं, जिनमें 13 प्रशिक्षित हैं। हालांकि आवेदन में शिक्षकों की नियुक्ति एन०सी०टी०ई० के मापदण्डों के अनुरूप बतायी गयी है। नियुक्ति के सन्दर्भ में समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति संलग्न की गयी है। लेकिन ऐसा कोई ताक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक तरीके से एन०सी०टी०ई० के मापदण्डों के अनुरूप की गयी है।
5. विद्यालय में हत्या हिन्दी विद्यालयों का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित सुवर्ण वर्षिक उत्सव अर्थात्, ... प्रतियोगिता आयोजित करके ... का दावा किया गया है। वार्षिक सूचियों के वर्षों के उत्सव में ... आयोजित किया गया है परन्तु इनमें विभिन्न सुवर्णों के वर्षों की जनसंख्या प्राप्त नहीं है। विद्यालय का लेखा से संबंधित

PRINCIPAL

SECRETARY

PRINCIPAL

SCHOLARS ABODE
PATNA

SCHOLARS ABODE
PATNA

विद्यार्थियों को प्रवेश देना है।

दिनांक 03.04.2000 को उपरोक्त अधिसूचना जारी की जा रही है।

(ii) विद्यार्थियों के नामों का 25% नामांकन प्रयोग के लिए प्रयोग किया जायेगा। बचपन से बच्चों को विद्यार्थी बनाने का प्रयत्न किया जायेगा। एच. एच. सी. बच्चों में अनुसूचित जाति/जाति के बच्चों को प्रथम प्राथमिक/माध्यमिक शैक्षणिक चरण में प्रवेश देने का प्रयत्न किया जायेगा।

(iii) विद्यालय में नर्सरी/के.जी.0 उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों को प्रवेश देने के लिए जिन बच्चों की प्रदेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्ची एवं भतीजा/पिता सहित) नहीं किया गया है, उनका नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित समय से अधिक हो तो खुले दरवाजे के तहत प्रवेश देना प्रयोग में लाया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के.जी.0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रदेश स्तर पर बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा के बच्चों की दूरी अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्कों की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित होई कि विद्यालयों में निर्धारित मानकों का पालन आचार पर संवर्धित है।

साथ ही नर्सरी का एक सुनिश्चित-अवकाश-योग्य कि. प्रवेश-विद्यार्थी को प्राप्त करने पर प्रयत्न आनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल का यह दस्तावेज जारी होना तथा इनका उल्लेख प्रोत्सोहक एवं वेबसाइट में करना होगा।

शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचित अन्तर सूचनाएँ जारी की जायेगी तथा संयोजन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्तों को आचार पर स्काउट अर्थात् महानगर पारिशदीक पटना का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बन्धित है।

विद्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2000 की प्राप्ति तक है।

अनुसूचक - यथोक्त

विद्यालय प्रमुख
विद्यालय, महानगर पटना

प्रतिनिधि - प्राचार्य, स्काउट अर्थात्, महानगर, पुलवारीशरीर पटना का प्रमुख एवं आचार्य कार्यालय

(आचार्य प्रसाद सिंह)
विद्यालय, महानगर पटना

PRINCIPAL
SCHOLARS ABODE
PATNA

SECRETARY
SCHOLARS ABODE

PRINCIPAL